

विशेष शिविर में ऑनस्पॉट इंदिरा आवास

पटना | आलोक चन्द्र

इंदिरा आवास अब ऑनस्पॉट दिया जाएगा। दलालों-बिचौलियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी योजना है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसी शिविर में आवास आवंटन के संबंध में तमाम प्रक्रियाएं निपटाई जाएंगी। शिविर में ही उनकी तस्वीर खींची जाएगी, बैंक खाता खोला जाएगा, शपथ पत्र लिए जाएंगे और आवास स्वीकृति से संबंधित तमाम कार्य वहीं सम्पन्न होंगे। इस तरह लाभार्थियों को आवास के लिए किसी तरह की कोई प्रक्रिया बाहर नहीं निपटानी है।

राज्य सरकार ने इंदिरा आवास वितरण के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। पंचायतों में विशेष शिविर लगाने के लिए 14 दिसम्बर से 7 जनवरी 2012 का समय दिया गया है। इन शिविरों में प्रत्येक लाभार्थी को इंदिरा आवास निश्चित रूप से मिले इसकी पुख्ता तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इन विशेष शिविरों में चार लाख इंदिरा आवास बांटे जाने का लक्ष्य निर्धारित

योजना तैयार

- सभी पंचायतों में 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक लगेंगे विशेष शिविर
- शिविर में ही खींचे जाएंगे फोटो खुलेगा बैंक खाता
- 11 जनवरी को प्रखंडों में पासबुक वितरण के लिए शिविर लगेगा
- दलालों-बिचौलियों पर अंकुश लगाने की सरकार की योजना
- शिविर में आवास आवंटन के बारे में तमाम प्रक्रियाएं निपटाई जाएंगी



● विशेष शिविरों में चार लाख इंदिरा आवास बांटे जाने का लक्ष्य

राज्य सरकार चाहती है कि प्रत्येक लाभार्थियों को बगैर किसी परेशानी के इंदिरा आवास मिल सके। यही नहीं वे बिचौलियों के चंगुल में भी नहीं फंसें। इसीलिए विशेष शिविर में आवास से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं निपटाने की योजना है। नीतीश मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री

किया है। शिविर को लेकर विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर कई दिशा-निर्देश दिया है। शिविर के लिए चयनित लोगों को चौकीदार के

माध्यम से लिखित सूचना दी जाएगी। यह दायित्व बीडीओ को सौंपी गई है।

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी सूरत में उन्हें दूसरे स्रोत से सूचना नहीं

दी जाए अन्यथा सूचना को आधार बनाकर भी दलाल लाभार्थियों को भ्रमित कर नाजायज वसूली कर सकते हैं। लिखित सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि लाभार्थी किस कोटि में आते हैं।

शिविर लगाए जाने के दो दिन पूर्व इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। विभाग ने अधिकारियों के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। बीडीओ से कहा गया है कि शिविर में फोटो खींचने की व्यवस्था करनी है ताकि उसका उपयोग बैंक खाता खुलवाने में हो सके। शपथ पत्र पर बयान लेने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की तैनाती करनी है। शपथ पत्र का प्रारूप पहले से मुद्रित होगा और उसे हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होगी। शिविर में सभी आवश्यक कागजातों के साथ बैंक अधिकारी मौजूद रहेंगे। अभिलेख तैयार हो जाने के बाद सहायता राशि का एडवाइस के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भुगतान होगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रत्येक प्रखंड में 11 जनवरी को पासबुक वितरण के लिए विशेष शिविर लगेगा।